महत्वपूर्ण

संख्या-2061/नौ-5-2016-257सा/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक (अमृत)/निदेशक,
नगर निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक : 19 जुलाई, 2016

विषय : भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित "अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन" (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) कार्यक्रम के अन्तर्गत हरित स्थान एवं पार्को की परियोजनाओं का फण्डिंग पैटर्न।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-एसएमएमयू/334/413-अमृत, दिनांक 11.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित "अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन" (AMRUT) कार्यक्रम के अन्तर्गत हरित स्थान एवं पार्को की परियोजनाओं के फण्डिंग पैटर्न के संबंध में दिशा-निर्देश का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1651/नौ-5 -16-39सा/2016, दिनांक 18 मई, 2016 में केन्द्रांश के 50 प्रतिशत होने की स्थिति में राज्यांश एवं निकाय अंश का प्रतिशत क्रमशः 30 एवं 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अमृत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार हरित स्थान और पार्को की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रांश अनुमन्य है, तो स्पष्टतः इन परियोजनाओं हेतु राज्यांश और निकाय अंश क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत होगा। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तद्नुसार त्वरित अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-2061(1)/नौ-5-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
(2) प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/नियोजन/आवास एवं शहरी नियोजन तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक(अमृत), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
(4) समस्त मा0 महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(8) निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(9) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।